

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
क्रमांक: प.6 लेखा/RTIDF/जैसीटीएसएल/डीएलवी/2012-13/8422

दिनांक 13-05-19

-: स्वीकृति आदेश :-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति 13 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018 के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 40803 दिनांक 20.09.2018 के एजेंडा बिन्दु संख्या 13.4.9 में लिए निर्णय के क्रम में जयपुर सिटी ट्रासपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जयपुर को वर्ष 2018-19 की समाप्ति संचालन हानि के विरुद्ध राशि रु. 564.06 लाख (अक्षरे रूपये पाँच करोड़ चौसठ लाख छ: हजार मात्र) जैसीटीएसएल के निजी निषेप खाते में हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(राशि लाख रु. में)

विकलेय मद	जारी की जाने वाली राशि
माग संख्या - 29	
2217- शहरी विकास	
05 - अन्य शहरी विकास योजनाएँ	
190 - सार्वजनिक हेत्र के तथा अन्य उपकरणों को सहायता	
(02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	
[02] - जयपुर सिटी ट्रासपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	387.45
माग संख्या - 51	
2217- शहरी विकास	
05 - अन्य शहरी विकास योजनाएँ	
190 - सार्वजनिक हेत्र के तथा अन्य उपकरणों को सहायता	
(02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	
[06] - जयपुर सिटी ट्रासपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिए)	
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	100.57
माग संख्या - 30	
2217- शहरी विकास	
05 - अन्य शहरी विकास योजनाएँ	
190 - सार्वजनिक हेत्र के तथा अन्य उपकरणों को सहायता	
(02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	
[04] - जयपुर सिटी ट्रासपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(अनुसूचित जनजातियों के लिए)	
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	76.04
कुल योग	564.06

उक्त राशि हस्तान्तरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यात्म जारी की गई है:-

01. जैसीटीएसएल राशि का व्यय आरटीपीपी एक्ट-2012 / रूल्स 2013, संबंधित नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेगा।
02. जैसीटीएसएल राशि का उपयोग आरटीआईडीएफ की संचालन समिति के निर्णय में उल्लेखित उद्देश्य हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा।
03. जैसीटीएसएल आगे राशि रिलीज करवाने से पूर्व उपयोगिता प्रमाण-पत्र/अकेशित लेखे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
04. जैसीटीएसएल संचालन हानि न्यूनतम करने के निर्णय की पालना सुनिश्चित करेगा।
05. इस राशि को बैंक अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नहीं किया जा सकेगा। राशि का फीडी खाते से आहरण निधियों की वार्ताविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
06. जैसीटीएसएल से राशि जारी के से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि RTIDF के दिशा-निर्देशों की अक्षरण पूर्ण पालना की गई है।
07. जैसीटीएसएल की वर्ष 2018-19 की हानि की शेष राशि अकेशित लेखे प्रस्तुत करने पर रिलीज की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आईडी क्रमांक 171900290 दिनांक 03.05.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक प.6 लेखा/RTIDF/जैसीटीएसएल/डीएलवी/2012-13/8423-34 दिनांक 13-05-19
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, मानसीय मंत्री वहोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) / (लेखा परीक्षा—प्रथम / द्वितीय), राज०जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज० जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज० जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर।
9. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज० जयपुर को 05 अतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन हैं राशि रु. 564.06 लाख (अकारे रूपये पॉच करोड चौसठ लाख छः हजार मात्र) राजस्थान जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर के निजी निक्षेप खाता संख्या 5746 में हस्तान्तरित करने का श्रम करायें।
10. कानूनाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
11. प्रभारी वेबसाईट / समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रभारी अका मिलान शाखा।


 (एस. आर. भीणा)
 परियोजना निदेशक